ए. याधव

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील नम्बर 102/2001)

25 नवंबर, 2008

(डॉ. अरिजीत प्रसायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा जेजे .)

दण्ड संहिता, 1860- धारा 302 व 394-अभियोजन अंतर्गत-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया-उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया-अपील में निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन परिस्थतियों पर प्रकाश डाला गया है, वह अभियुक्त को दोषिसिद्ध करने हेतु सुसंगत है-दोषसिद्धि युक्तियुक्त है।

साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-भरोसा किया गया-निर्धारित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है-दोषसिद्धि से पहले जिन पूर्ववर्ती शर्तों पर भरोसा किया गया उनकी व्याख्या की गई।

अपीलार्थी-अभियुक्त नम्बर 2 के विरुद्ध धारा 302 व 394 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त संख्या 1 के साथ अभियोजित किया गया।

अभियोजन कहानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी। अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध जिन परिस्थितयों के आधार पर भरोसा किया गया था, वे यह थी कि अभियुक्त मुख्य अभियुक्त (ए-1) का परिचित था, उसे घटनास्थल के पास घटना वाले दिन मृतक के फ्लेट की ओर ए-1 के साथ जाते देखा गया था, जिसके पश्चात मृतक को किसी के भी द्वारा जीवित देखा/सुना नहीं गया। ए-1 ने अपीलार्थी ए-2 को अपने साथी के रूप में बतलाया है। उसके खुद के स्वेच्छा कथनों के आधार पर तकिये व तकिये का खोल, जिसे दोनों मृतकों का गला दबाने के काम में लिया गया था, जब्त हुआ था तथा घटनास्थल पर ए-2 के मौके पर अंगूलियों के निशान पाये गये है।

विचारण न्यायालय ने धारा 302 व 394 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ए-1 को दोषिसिद्ध किया था एवं संदेह का लाभ देकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया था। विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध तीन अपीले प्रस्तुत की गई थी। एक अपील ए-1 के द्वारा दोषसिद्धि के विरूद्ध व दो अपीले राज्य सरकार के द्वारा ए-1 की सजा बढ़ाने के लिए तथा अपीलार्थी के दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी अभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई राज्य सरकार की अपील को स्वीकार किया व अन्य दो अपीलों को खारिज किया गया इसलिए यह अपील अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया :

1. अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जिन परिस्थतियों पर प्रकाश डाला गया है, वह इस प्रकार है कि अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 1 को जानता था। दिनांक 08.08.1992 को 8.30 पी.एम पर अभियुक्त संख्या 1 के साथ घटनास्थल मृतक के फलेट पर जाते हुए देखा गया था। अभियुक्त संख्या 1 ने अपीलार्थी को अपने साथी के रूप में बतलाया है एवं गिरफतारी के बाद अभियुक्त के स्वेच्छया कथनों के आधार पर एम.आे संख्या 7 व 7ए (तकिये व तकिये का खोल जिसे दोनों मृतकों का गला घोटने के लिए इस्तेमाल किया गया था) जब्त किया गया था। घटनास्थल से अपीलार्थी के मौके पर अंगूलियों के निशान पाये गये थे। उच्च न्यायालय ने कई कारणों के साथ मोटिव (उददेश्यों) का उल्लेख किया है। उच्च न्यायालय ने पी.ड.2 व 4 की साक्ष्य को उल्लेखित किया है, जिन्होंने अपीलार्थी व ए-1 को मृतक के घर के बाहर निकलने के बाद देखा था। पी.ड.4 को यह याद था कि अपीलार्थी गाड़ी में ए-1 के साथ बैठा था। जिन परिस्थतियों पर उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए प्रकाश डाला गया था, जिन परिस्थतियों को असंगत नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह सही उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित करने का निर्देश प्रदान करते समय सुसंगत पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। (पैरा-6 व 18)(581एच-582-ए-बी)

2. अगर कोई प्रकरण पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो दोषसिद्धि का निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य व परिस्थतिया अभियुक्त की निर्दोषता के साथ तथा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने से असंगत हो। इसमे कोई संदेह नहीं है कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य का संबंधित विधि की कसौटी पर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। परिस्थतिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने से पहले पूर्ववर्ती शर्त पुरी तरह से स्थापित होना चाहिए, जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। वह परिस्थितियां पूर्णतया स्थापित होना चाहिए। संबंधित परिस्थतियां अनिवार्य आवश्यक रूप से तथा न केवल संभावित होकर स्थापित होनी चाहिए। अगर स्थापित तथ्य केवल और केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि की परिकल्पना से सुसंगत था, उनके आधार पर अभियुक्त दोषी है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य परिकल्पना निकाली ना जा सके। परिस्थितियां निर्णायक परिस्थितियां एवं प्रवृति की होनी चाहिए तथा जिसे साबित करना है, उसके अतिरिक्त हर संभव परिकल्पना को वह पृथक करता है साक्ष्य की प्राप्ति इस प्रकार से होनी चाहिए, जिससे अभियुक्त निर्दोष है इस निष्कर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य निष्कर्ष का युक्तियुक्त आधार उपस्थित न हो तथा यह आवश्यक रूप से यह दर्शित होता हो कि हर संभव संभावना में अभियुक्त के द्वारा ही उक्त कृत्य किया गया है।

(पैरा- 9, 14 व 16) (578 ए-बी; -580-डी, 581-बी-एफ)

हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1977 एससी 1063; एराडु व अन्य बनाम हैदराबाद राज्य एआईआर 1956 एससी 316; एराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1983 एससी 446; उत्तरप्रदेश राज्य बनाम सुखबासी व अन्य एआईआर 1985 एससी 1224; बलविंदरसिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1987 एससी 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्यप्रदेश राज्य एआईआर 1989 एससी 1890; भगत राम बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1954 एससी 621; सी. चेंगा रेड्डी व अन्य बनाम आंधप्रदेश राज्य 1996 (10) एससीसी 193; पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंधप्रदेश राज्य व अन्य एआईआर 1990 एससी 79; उतरप्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव 1992 क्रिमीनल लॉ जनरल 1104; हनुमंत गोविंद नरगुंडकर व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343; शरद बिरदीचंद शारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1984 एससी 1622; राजस्थान राज्य बनाम राजाराम 2003(8) एससीसी 180; हरियाणा राज्य बनाम जगबीर सिंह व अन्य 2003(11) एससीसी 261 और कुसुमा अंकमा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 (10) एससीआर 89, पर भरोसा किया गया।

श्रीमान बी अल्फ्रेड विल्स द्वारा लिखित विल्स' परिस्थितिजन्य साक्ष्य अध्याय-6 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ:

एआईआर 1977 एससी 1063	पर भरोसा।	पैरा 9
एआईआर 1956 एससी 316	पर भरोसा	पैरा 9
एआईआर 1983 एससी 446	पर भरोसा	पैरा 9
एआईआर 1985 एससी 1224	पर भरोसा।	पैरा 9
एआईआर 1987 एससी 350	पर भरोसा।	पैरा 9
एआईआर 1989 एससी 1890	पर भरोसा।	पैरा 9
एआईआर 1954 एससी 621	पर भरोसा।	पैरा 9
1996 (10) एससीसी 193	पर भरोसा।	पैरा 10
एआईआर 1990 एससी 79	पर भरोसा।	पैरा 11
1992 क्रिमीनल लॉ जनरल 1104	पर भरोसा।	पैरा 12
एआईआर 1952 एससी 343	पर भरोसा।	पैरा 14
एआईआर 1984 एससी 1622	पर भरोसा।	पैरा 15
2003 (8) एससीसी 180	पर भरोसा।	पैरा 17
2003 (11) एससीसी 261	पर भरोसा।	पैरा 17

2008 (10) एससीआर 89 पर भरोसा। पैरा 17

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 102/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर की आपराधिक अपील संख्या 749/1996 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 29.05.2000 से।

जसपाल सिंह, वी.एन रूघुपति, धर्मपाल, राणाजी थोमस व लगनेस मिश्रा अपीलार्थी की ओर से।

संजय आर. हेगडे, ए. रोहन सिंह, विक्रांत यादव व अमित केआर. चावला प्रत्यर्थीगण की ओर से।

डॉ. अरिजीत प्रसायत, न्यायमूर्ति के द्वारा न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

1. इस अपील के माध्यम से कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के द्वारा पारित तीन क्रिमिनल अपील को निस्ताारित करने वाले निर्णय को चुनौती प्रदान की गई है,जो अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश सं. 9 बैंगलोर सिटी के द्वारा एससी नम्बर 353/1992 के सम्बंध में पारित निर्णय के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई थी। क्रिमिनल अपील नंबर 51/1996 कृष्णमूर्ति ए1 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें धारा 302 व धारा 394 आईपीसी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्वी एवं दण्डादेश को चुनौती प्रदान की है वहीं क्रिमिनल अपील नम्बर 748/1996 राज्य सरकार के द्वारा

कृष्णमूर्ति अभियुक्त संख्या 1 का दण्डादेश कम होने के सम्बंध मे प्रस्तुत की गई थी तथा सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदण्ड में बदलने का निवेदन किया था। अन्तिम अपील 748/1996 राज्य सरकार के द्वारा अपीलार्थी-ए। यादव ए 2 के दोषमुक्त के आदेश को चुनोती प्रदान करते हुए प्रस्तुत की गई थी।

(2) प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से हैं-

सुनन्दा, उम्र 73 वर्ष (जिसे आगे मृतक सं. 1 व 2 से सम्बोधित किया गया है) एवं उसकी माता रुकम्मा उम्र 90 वर्ष एक अच्छे परिवार से आती थी एवं उसके बच्चे बैंगलोर के बाहर रहते थे। फ्लेट नं. 201, प्रथम तल रिजमेन्ड पलैस, कॉनवेट रोड बेंगलोर में वे निवास कर रहे थे, उनके द्वारा अकसर अभियुक्त संख्या 1 की सेवाये पार्ट टाईम ड्राईवर के रूप में बैंगलोर के आसपास के लिए ली जाती थी। उनके द्वारा घरेलू कार्य में सहायता हेतु पीडब्ल्यू 3 सेल्वी को काम वाले बाई के रूप में रखा गया था। वे लोग अक्सर फोन पर अथवा व्यक्तिशः अपने रिश्तेदारों से बात किया करते थे। जैसे कि मृतक सुनन्दा की पुत्री सुवर्ण प्रसाद (पीडब्ल्यू 6), मृतक रुकम्मा की रिश्ते की बहन लक्ष्मी (PW 8) मृतक रुकमा की भतीजी नागमणी पीडब्ल्यू 19 एवं डॉक्टर जेवीयर, अवकाश प्राप्त चिकित्सक जो उसी अपार्टमेन्ट में रहते थे एवं दोनों मृतको के स्वास्थ्य का देखभाल करते रहते थे। इसी प्रकार केशन अयंगर पीडब्ल्यू 1 जिनकी पुत्री की शादी मृतक

सुनन्दा के बेटे से हुई थी वो भी सुनन्दा व रुकमा से मिलने एवं उनके हालचाल लेने आते थे।

09.08.1992 (रविवार) की सुबह पीडब्ल्यू 6 सुवर्ण प्रसाद को सुनन्दा का कॉल हमेशा की भाँति नही आया तथा मद्रास में जहाँ वो रह रही थी वहां से काफी प्रयास करने पर भी जब सुनन्दा से उसकी बात नही हो पाई तो उसने डॉक्टर जेवीयर को सम्पर्क किया तथा सुनन्दा एवं रुकमा की हाल-चाल के बारे में जानकारी कर सुचित करने को कहा। कहे अनुसार डॉक्टर जेवीयर पीडब्ल्यू 22 ने सुबह 10 बजे दोनों मृतक सुनन्दा व रुकमा को फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सोचा की शायद वो लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने गये होगे इसलिए थोड़ी देर इंतजार किया। उसके बाद में जब कोई जबाब नहीं मिला तो उसने पीडब्ल्यू 1 केशव एगर,जो मृतक सुनन्दा एवं रुकमा के दूसरे रिश्तेदार है को शाम छः बजे सम्पर्क किया। फिर से पीडब्ल्यू 1 केशव अयंगर ने भी सोचा की सुनन्दा एवं रुकमा दोनों शायद बाहर गई होंगे इससे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एपार्टमेन्ट में आये तथा पीडब्ल्यू 22 डॉक्टर जेवीयर के साथ दोनों मृतक के फ्लेट नंबर 201 में गये जब पीडब्ल्यू 1 एव पीडब्ल्यू 22 वहा पंहूचे तो उन्होने पाया कि दरवाजा अन्दर से बंद है तथा चूंकि वह लैच डोर था तथा बार बार घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो PW 1 केशव अयंगर ने डुप्लीकेट चाबी जो

उसके पास उपलब्ध थी, से दरवाजा खोला और घर के अन्दर प्रवेश किया। घर के अन्दर अँधेरा था तथा घर की बिजली ऑन करने पर उन्होने देखा कि शयन कक्ष में दो अलग अलग बिस्तर पर दो शरीर गलीचे से ढके हुए पडे थे। जाँच करने पर वह सुनन्दा व रुकम्मा के शव पाये गये तुरन्त ही PW 1 केशव अयंगर ने बेगलोर में अपने रिश्तेदारो से सम्पर्क किया तथा मद्रास में सुवर्ण प्रसाद PW 6 से भी सम्पर्क किया। PW 6 सुवर्ण प्रसाद ने PW 1 केशव अयंगर को यह कहा कि वह अगली फलाईट से बैगलोर आजायेगी तब तक कुछ ना कर PW1 केशव अयंगर ने फ्लेट का दरवाजा बंद किया तथा अपने घर वापस आ गये। अगले दिन 10-8-1992 को सुबह 7 बजे pw 6 सुवर्ण प्रसाद एवं उसके पति के आने के बाद केशव अयंगर एवं उनके साथ फ्लेट पर आये तथा घर के अन्दर की स्थिति को ध्यान से देखा चूंकि सुवर्ण प्रसाद पीडब्ल्यू 6 ने मृतक के शरीर पर से कुछ सामान खासकर कुछ जेवरात गायब पाये तथा कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होने पर पीडब्ल्यू 01 केशव अयंगर ने क्षेत्राधिकार वाले थाने पर परिवाद पेश करने का निवेदन किया। तत्पश्चात पीडब्ल्यू 1 केशव अयंगर ने पुलिस के डीआईजी से सम्पर्क किया तथा डीआईजी ने अशोक नगर पुलिस थाने के थानाधिकारी एवं पुलिस इंस्पेक्टर पीडब्ल्यू 29 नारायण को छानबीन करने का निर्देश दिया। पीडब्ल्यू 29 नारायण घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ पीडब्ल्यू 1 केशव अयंगर ने उसके समक्ष लिखित परिवाद प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत किया जिसे पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज करने एवं अनुसंधान हेतु भेजा गया

पीडब्ल्यू 26 श्रीनिवास पुलिस सब इंस्पेक्टर ने सीआर नम्बर 594/1992 अन्तर्गत धारा 302 भा.द.स. अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की तथा इस प्रकार प्रकरण में अनुसंधान का आरम्भ हुआ। डॉग स्क्वायड एवं फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को बुलाया गया। पुलिस डॉग स्क्वायड किसी भी संदिग्ध स्थान तक या संदिग्ध व्यक्ति तक नही पहुँच सके इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। PW 28 नारायणप्पा फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ ने टीवी स्टेण्ड पर तीन 3 चान्स फिंगर प्रिन्ट पाये तथा शवों के पास रखे हुए स्टेन लेस स्टील के कप पर उपलब्ध 2 चान्स फिंगर प्रिंट पाये एवं उनके फोटोग्राफ लिये साथ ही मृतक के फ़िंगर प्रिट के फोटोग्राफ एवं पास में रहने वाले पीडब्ल्यू 2 थावमनी चोकीदार एवं पीडब्ल्यू 3 सेल्वी काम वाली बाई, जो तुरन्त आई थी, के फिंगर प्रिन्ट भी लिये। PW 10 अमीर पुलिस फोटोग्राफर ने शवो का फोटोग्राफ लिया। इंक्वेस्ट महजर प्रदर्श P 26 व 27 के बाद शवो को अटोप्सी के लिए भेजा गया । इंकवेस्ट तथा तत्पश्चात गवाहो के बयानों के लेखबद्ध होने से तथा खास कर PW 2 थावमनी के बयानों से यह उभर कर आया की अभियुक्त सं. 1 एक अन्य व्यक्ति के साथ एक रात पहले आया था तथा मृतक के फ्लेट पर गया था । अभियुक्त सं. 1 की खोज प्रारम्भ की गई। पीडब्ल्यू 7 चन्द्रशेखर नायर इंस्पेक्टर कोड जिसे अभियुक्त को ढूंढने व पकड़ने का काम सोपा गया था, ने अभियुक्त संख्या 1 को अपनी एमबैसडर गाड़ी मे मनीपाल अस्पताल के पास घूमते हुए पाया। उसे पकड़ा गया तथा गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन लाया गया।

पीडब्ल्यू 29 नारायण के द्वारा शाम 5 बजे उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त स. 1 से पूछताछ की गई तथा उसके स्वेच्छा कथन प्रदर्श 39 के आधार पर दोनों मृतको के कुछ जेवरात उसकी एम्बैसेडर कार रजिस्ट्रेशन सं. के.एलडी 6288 की डीक्की से जब्त हुये, जो गाडी स्वीकृत रूप से अभियुक्त सं. 1 की थी। पुछताछ के दौरान अभियुक्त से. 2 के अपराध में संलिप्त जाहीर की, इसलिए अभियुक्त सं. 2 को भी गिरफ्तार किया गया एवं उससे भी पूछताछ की गई। उसके स्वच्छा कथनों के आधार पर मोबाईल नंबर सात एवं सात ए तकिया एवं तकिये का खोल जिसका प्रयोग मृतक का गला घोटने के लिए किया गया था, को अपार्टमेन्ट से ही जप्त किया गया।

11-8-1992 को डॉक्टर पीडब्ल्यू 12 डॉ. थीरूनवक्करसु एवं पीडब्ल्यू 13 मन्जूनाथ चिकित्सको, जिन्होने शवों की अटोप्सी की थी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 व पी 19 प्रस्तुत की। चूंकि दोनो डॉक्टर्स ने कोई बाहरी, शारीरिक चोट सम्भवता शरीर गलने व फुलने के कारण नहीं पाया इसलिए उन्होने अपनी राय केमिकल एनालेस्ट एवं फोरेन्सिक साईन्स लेबोरेट्री जिन्हें कुछ सामग्री खासकर दोनों मृतको के विसरा भेजे गये उनकी रिपोर्ट आने तक राय सुरक्षित रखी। इसी दौरान अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 29 नारायण ने कई गवाहों के बयान लेखबद्ध किये। अभियुक्त के फिंगर प्रिन्ट लिये तथा फिंगरप्रिन्ट विशेषज्ञ के द्वारा पूर्व मे लिये गये

मृतक के फिगर प्रिन्ट के साथ उसे भेजा। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सं. 2 की सुचना के आधार पर तकिया एवं तकिया खोल बरामद होने के बाद पुलिस ने गला घोटने से मृत्यु होना सम्भावित समझा। अनुसंधान अधिकारी ने इस सम्बंध में जिन चिकित्सीय अधिकारी के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था उनसे गला घोटने के कारण मृत्यु की सम्भावना के सम्बंध में स्पष्ट राय देने को कहा दोनों डॉक्टर थीरूनवक्करसु पीडब्ल्यू 12 एवं डॉक्टर मन्जूनाथ पी 13 ने प्रदर्श पी 15 एवं प्रदर्श पी 19 के आधार पर सुनन्दा एवं रुकमा दोनो की मौत का कारण तकिये जैसे चिकने वस्तु से गला घोटने की सम्भावना के सम्बंध में सकारात्मक राय दी। केमिकल एक्जामिनेशन एवं फोरेन्सीक साईन्स लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 19-10-1992 के अनुसार जहर की कोई उपस्थिति नही पाई गई थी। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात एवं सभी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात 02-01-1992 को दोनो अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 एवं 394 सपठित धारा 34 IPC के अन्तर्गत चार्जशीट प्रस्तुत की गई।

चूंकि अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही थी इसलिए एससी न. 353/1992 में उनका विचारण चला। अभियुक्त का अपराध प्रमाणित करने हेतु अभियोजन की ओर से 29 गवाहो को परिक्षित कराया गया तथा प्रदर्श पी1 लगायत पी 42 एवं मो. न. 1 लगायत 17 प्रदर्शित कराया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कहानी को पूर्णतया अस्वीकार किया

है तथा पीडब्ल्यू 2 एवं पीडब्ल्यू 4 के बयानों के कुछ कथनों को प्रदर्श डी 1 लगायत डी 5 के रूप मे प्रदर्शित कराने के बाद अभियुक्त ने अपनी साक्ष्य बिना किसी अग्रिम साक्ष्य पेश किये अपनी साक्ष्य समाप्त की।

विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन कर विचारण न्यायालय ने केवल अभियुक्त संख्या 01 को धारा 302 एवं 394 आईपीसी के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किया। हालांकि अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्व उपलब्ध साक्ष्य में आई कमियो एवं खामियों को देखते हुए अभियुक्त संख्या 2 को संदेह का लाभ देकर अभियुक्त संख्या 2 को सभी आरोपों को दोषमुक्त किया गया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया था कि अलग-अलग अपील प्रस्तुत की गई थी, एक अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा एवं बाकि दो राज्य सरकार के द्वारा ए1 की सजा बढाने एवं A-2 के दोषमुक्त किये जाने के आदेश की वैधता को चुनोती देते हुए प्रस्तुत किया गया था।

उच्च न्यालय में आक्षेपित निर्णय के द्वारा वर्तमान अपीलार्थी के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया तथा अन्य 2 अपीले खारिज की। उच्च न्यायालय के द्वारा दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के निर्णय के वैधता को चुनौती देते हुये यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विस्तार से विवेचन करते हुए वर्तमान अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया था। बिना साक्ष्य का विस्तार से विवेचन किए एवं बिना कोई कारण अभिलिखित किये कि किस प्रकार से विचारण न्यायालय के आदेश में विसंगति है, विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया गया है।

4. विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट किया गया मत युक्तियुक्त था जिसमें उच्च न्यालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

5. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय को समर्थन किया है।

6. वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन की ओर से जिन परिस्थियों पर प्रकाश डाला गया है वह निम्न प्रकार से हैं-

1. दोनो मृतक रिचमण्ड प्लेस अपार्टमेन्ट कान्वेन्ट रोड बैंगलोर के फ्लेट नम्बर 201 में निवास करते थे।

2. अभियुक्त संख्या 1 को अक्सर पार्ट टाईम वाहन चालक के रूप में मृतक के द्वारा बुलाया जाता था तथा इस कारण वह उन दोनों को अच्छे से जानता था।

3. दोनो मृतक 08.08.1992 को रात 8.00 व 8:30 बजे तक जिवित थी।

4. लगभग उसी समय दोनो अभियुक्त को अपार्टमेन्ट की ओर जाते हुए देखा गया।

5. 08.08.1992 के रात के बाद सुनन्दा व रूकमा को जिवित नहीं देखा गया।

6. अभियुक्त संख्या 1 ने कर्ज लेकर गाड़ी खरीदी थी जिस कारण उसे पैसे की आवश्यकता थी।

7. दोनो मृतक के सोने के जेवरात मो. संख्या 1 लगायत 4 अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा पूछताछ के दौरान दी गई सूचना के आधार पर बरामद हुए तथा अभियुक्त संख्या 1 के बताए अनुसार उनकी गाड़ी से उसे जप्त किया गया।

इसी प्रकार जहां तक अभियुक्त संख्या 2 का सम्बन्ध है, परिस्थितयां निम्न प्रकार से हैं:-

1. अभियुक्त संख्या 2 अभियुक्त संख्या 1 का परिचित था।

2. उसे घटना स्थल के नजदीक अभियुक्त संख्या 1 के साथ मृतक के फ्लेट पर दिनांक 08.08.1992 को 8.30 बजे रात में जाता हुआ देखा

गया।

3. अभियुक्त संख्या 1 ने अभियुक्त संख्या 2 को अपना सहयोगी बताया है तथा गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त संख्या 2 के सर्वेक्षा कथनो के आधार पर एमओ संख्या 7 एवं 7ए (तकिया व तकिये का खोल जिसका उपयोग दोनो मृतको के गला घोटने हेतु प्रयोग में लिये जाने का आरोप लगाया गया है) बरामद हुआ है।

4. घटनास्थल से अभियुक्त संख्या 2 से फिंगर प्रिंट पाये गये है।

7. जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का प्रश्न है तो परिस्थिति संख्या 2 लगायत 4 सुसंगत है।

8. इस न्यायालय द्वारा परिस्थितियो से सम्बंधित मापदण्डो पर कई प्रकरणो में विचार किया गया है।

9. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह मत प्रकट किया गया है कि यदि कोई प्रकरण पूर्णतः परिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है तो दोषसिद्वि का निष्कर्ष तभी उचित है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य या परिस्थितियां अभियुक्त के निर्दोष होने तथा अन्य व्यक्ति के दोषी होने में असंगत हो। (देखिये हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1977 एससी 1063) इराडू व अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (एआईआर 1956 एससी 316) इराभादरप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (एआईआर 1983 एससी

446) उतरप्रदेश राज्य बनाम सुखबासी व अन्य (एआईआर 1985 एससी 1224) बलविन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1987 एससी 350) अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्यप्रदेश राज्य (एआईआर 1989 एससी 1890) परिस्थियतियां जिनके आधार पर अभियुक्त कि दोषसिद्वी का निष्कर्ष निकाला जा रहा हो वो परिस्थितियां संदेह से परे प्रमाणित होनी चाहिए तथा उन परिस्थितियों के आधार पर जिस मुख्य तथ्य के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा रहा हो वह दोनों आपस में काफी समीप से जुडे होना दर्शित होते है। भगतराम बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1954 एससी 621 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया था कि यदि कोई प्रकरण परिस्थितियों के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष आधारित हो तो सभी परिस्थितियों को सम्मिलित रूप में निकाला गया निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोष होने की संभावना बिल्कुल न हो तथा अपराध संदेह से प्रमाणित होता हो।

10. यहाँ पर इस न्यायालय द्वारा सी चेनगा रेडडी व अन्नू बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जहाँ न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया था कि-

> "यदि कोई प्रकरण परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हैं तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला

जा रहा है वह पूर्णतः प्रमाणित हो। वह पस्थितियां निर्णायक प्रकृति की हो। साथ ही सभी परिस्थितिया पूर्ण हो तथा साक्ष्य की कड़ी मे कोई कड़ी टूटी हुयी न हो। इसके अतिरिक्त जो परिस्थितियां प्रमाणित हुयी है वह अभियुक्त के दोषसिद्धि की परिकल्पना से ही सुसंगत हो तथा अभियुक्त को निर्दोष होने से पूर्णतः असंगत हो।"

11. पदालावीरा रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य (एआईआर 1990 एससी 79) में यह मत प्रकट किया गया था कि यदि कोई प्रकरण परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हो तो वह साक्ष्य निम्नलिखित कसौटी पर खरी उतरनी चाहिएः-

(1) जिन परिस्थितयों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह दृढ़तापूर्वक एवं प्रबलता से स्थापित होने चाहिए;

(2) वह परिस्थितयां स्पष्ट प्रकृति की होनी चाहिए, जो त्रुटिहीन तरीके से अभियुक्त की गुनाह की ओर इशारा करे।

(3) परिस्थितियों को सम्मिलित रूप से देखने पर उसकी एक कडी बननी चाहिए जो इस प्रकार से पूर्ण हो कि हर मानवीय सम्भावना में अपराध अभियुक्त के द्वारा तथा अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कारित

नहीं किए जाने का निषकर्ष ही निकलता हो।

(4) दोषसिद्धि हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के दोषसिद्धि की परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ उस साक्ष्य का नहीं निकाला जा सके तथा वह साक्ष्य ना केवल अभियुक्त के दोषी होने के निष्कर्ष से सुसंगत है बल्कि अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत भी हो।''

12. उ.प्र. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1104) में यह उल्लेखित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विवेचन करते समय न्यायालय को काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए तथा यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया जा रहा है उसके दो निष्कर्ष युक्तियुक्त तरीके से निकाले जा सकते है जो निष्कर्ष अभियुक्त के पक्ष में है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह भी मत प्रकट किया गया था कि जिन परिस्थितियों पर विश्वास किया जा रहा है वह पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए तथा सभी स्थापित तथ्यों का सम्मिलित रूप से निकाला गया निष्कर्ष केवल अभियुक्त के दोषसिद्धि से ही सुसंगत हो।

13. सर अल्फ्रेड वेल्स ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ''Wills Circumstantial Evidence'' (अध्याय-6) में निम्नलिखित नियम जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से ध्यान देने चाहिए

उनका उल्लेख किया हैः (1) जिन आक्षेपित तथ्यों को विधिक निष्कर्ष का आधार बनाया जा रहा है वह तथ्य स्पष्टतः एवं सन्देह से परे प्रमाणित किए जाने वाले मूल तथ्य के सम्बन्ध में प्रमाणित होने चाहिए। (2) प्रमाणित करने का भार हमेशा उस पक्षकार पर है जो उसे दायित्व का निष्कर्ष प्रदान करने वाले तथ्य के अस्तित्व में होने का अभिकथन करता है। (3) प्रत्येक प्रकरण में चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा परिस्थितजन्य साक्ष्य से सम्बन्धित हो प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। (4) दोषसिद्धि के निष्कर्ष को उचित ठहराने हेतु दोषपूर्ण तथ्य अभियुक्त के निर्दोषता से असंगत होने चाहिए तथा अभियुक्त के दोषसिद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी परिकल्पना की ओर इशारा नही करती हो (5) अभियुक्त की दोषसिद्वी पर किसी और प्रकार की कोई युक्तियुक्त संदेह हो तो अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का अधिकार प्राप्त है।

14. इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी हो सकती है परन्तु वर्ष 1952 से इस न्यायालय द्वारा जो सम्बन्धित विधि निर्धारित की गयी है। उसकी कसौटी पर उसे परखना आवश्यक है।

15. हनुमन्त गोविन्द नारगुन्डकर व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (एआईआर 1952 एससी 343), में यह मत प्रकट किया गया है किः

''यह याद रखना आवश्यक है कि जिन प्रकरणों में साक्ष्य परिस्थितजन्य साक्ष्य की प्रकृति का हो, तो जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह प्रथमतः पूर्णतः स्थापित होना चाहिए तथा सभी स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि की परिकल्पना से सुसंगत होना चाहिए परिस्थितियों निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृति की होनी चाहिए तथा प्रस्तावित तथ्य उसे छोड़कर शेष सभी परिकल्पना से पृथक की जा सकती हो दूसरे शब्दों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़िया इस प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोषता का निष्कर्ष निकालने का कोई युक्तियुक्त आधार उपलब्ध न हो तथा वह साक्ष्य इस प्रकार की हो तथा उससे यह इंगित होता हो कि हर सम्भव सम्भावना में केवल अभियुक्त के द्वारा ही वह कृत्य किया जाना प्रमाणित होता होता हो।"

16. इस सन्दर्भ में शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1984 एससी 1622) में इस न्यायालय द्वारा पारित किए गये पश्चातवर्ती निर्णय का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सन्दर्भ में यह मत प्रकट किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि वह कड़ी का पूर्ण होना प्रमाणित करे। अभियोजन की

कमियों तथा खामियों के भरपाई झूठे बचाव से नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय के शब्दों में परिस्थितजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्वि करने से पूर्ववर्ती शर्त पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। निम्न प्रकार से हैः-

(I) जिन परिस्थितयों के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह पूर्णतः स्थापित होना चाहिए। सम्बन्धित परिस्थितयों अनिवार्य तथा आवश्यक रूप से तथा ना केवल सम्भावित रूप से स्थापित होना चाहिए।

(II) स्थापित परिस्थितयों केवल अभियुक्त के दोषसिद्धि कि परिकल्पना से सुसंगत होनी चाहिए अर्थात अभियुक्त के दोषसिद्धि के परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिकल्पना उन तथ्यों के आधार पर दर्शित नहीं होनी चाहिए।

(III) परिस्थितयों निश्चायक प्रकृति एवं प्रवृति की होनी चाहिए।

(IV) जिसे प्रमाणित करना है उसके अतिरिक्त प्रत्येक सम्भव परिकल्पना को पृथक किया जा सकता हो।

(V) साक्ष्य की कड़ियां इस प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए की अभियुक्त की निर्दोषता से सुसंगत निष्कर्ष निकालने को कोई

युक्तियुक्त आधार उपलब्ध न हो तथा हर सम्भव सम्भावना यही दर्शित करती हो कि वह कृत्य अभियुक्त के द्वारा ही किया गया है।

17. उपरोक्त पहलुओं पर राजस्थान राज्य बनाम राजाराम (2003 (8) एससीसी 180), हरियाणा राज्य बनाम जगबीर सिंह व अन्य (2003 (11) एससीसी 261) और कुसुमा अनकमा राव बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य [2008 (7) जेटी 360] में भी प्रकाश डाला गया है।

18. उच्च न्ययालय ने कई पहलुओं पर जैसे की हेतु (उद्येश्य) को भी उल्लेखित किया गया है उच्च न्यायालय में पीडब्ल्यू 2 व पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्य का उल्लेख किया है जिन्होंने ए1 व ए2 को मृतक के घर से निकलने के बाद देखा था। पीडब्ल्यू-4 को यह याद था की ए2 गाड़ी में ए1 के साथ बैठा था। जिन परिस्थितयों को वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि हेतु उच्च न्यायालय में प्रकाशित किया गया है उन्हें असंगत नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह सही मत प्रकट किया था कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को दोषमुक्त करते का निष्कर्ष प्रदान करते समय सुसंगत पहलुओं पर विचार नहीं दिया है। उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए निष्कर्ष में कोई असंगति हस्तक्षेप करने योग्य नहीं पायी जाती है।

19. अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जगदीश प्रसाद मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।